कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी
बिलासपुर , जिला–बिलासपुर (छ0ग0)
निविदा प्रपत्र
समय सारणी निविदा वर्ष 2018–19

निविदा फार्म	वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए जिला बिलासपुर के डी ई आई सी में आपूर्ति करने बावत् ।
निविदा प्रपत्र मूल्य	500/– रू. (पॉच सौ रू. मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट **"District Health Society NRHM Fund (Main) A/c Bilaspur** के नाम से एंव वापसी योग्य नहीं
अमानत राशी	अमानत राशी 50,000=00 रू. पचास हजार रूपये जो की FDR के रूप में **"District Health Society NRHM Fund (Main) A/c Bilaspur** के नाम से देय कर संलग्न करना होगा।
निविदा फार्म प्राप्ति की अंतिम तिथी एंव समय	दिनांक 13/10/2018 शाम 05:00 PM तक
निविदा फार्म जमा करने हेतु निर्धारित तिथि एवं समय	दिनांक 15/10/2018 दोपहर 01:00 PM तक रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से।
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 15/10/2018 शाम 04:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष।
स्थान	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर , जिला–बिलासपुर (छ0ग0) ।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर ,
जिला–बिलासपुर (छ0ग0)

<u>निविदा शर्तो को अच्छी तरह से अध्ययन कर ही निविदा फार्म जमा करें।</u>

1. जिला बिलासपुर के डी ई आई सी के लिए सामग्री को क्रय किये जाने हेतु संलग्न परिशिष्ट में दर्शाए अनुसार निविदा आमंत्रित की जाती है।

2. क्रय अवधि निविदा खुलने दिनांक से अगामी एक वर्ष तक मान्य रहेगी ।

3. निविदा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियमों के तहत आमंत्रित की जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय के सभी नियम लागू रहेंगे।

4. निविदा–दाता द्वारा रखी गई शर्ते मान्य नही होंगी तथा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

5. निविदा स्पष्ट रूप से कम्प्युटराइजड अंकित कर संलग्न निविदा फार्म में भरकर जमा करनी होगी।

6. क्रय हेतु आदेशित चिकित्सकीय उपकरणों आदेश निर्गत दिवस से 30 दिवस के अंदर संपूर्ण माप–दण्ड के अनुसार आदेशित मात्रा के अनुरूप प्रदाय करना होगा अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा। समय पर प्रदान न करने की दशा में विलम्ब से प्राप्त चिकित्सकीय उपकरणों स्वीकार नहीं की जावेगी तथा प्रदायकर्ता को अपने स्वंय के व्यय से वापस लेना होगा।

7. सभी निविदादाता को 50/ रूपये के स्टाम्प पेपर पर यह इकरारनामा नोटरी से अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा कि यदि मेरे द्वारा प्रदाय की गई सामग्रीयों की गुणवत्ता निम्न स्तर की अथवा हानिकारक अथवा अशुद्ध पायी गई तो मेरे द्वारा जमा की गई अमानत राशि राजसात कर ली जाए एवं मुझे ब्लेक लिस्टेड किया जाये साथ ही विभाग को कानूनी कार्यवाही का अधिकार होगा।

8. भुगतान शासन से समय–समय पर प्राप्त निर्देश एवं प्राप्त आबंटन के अनुसार किया जायेगा।

9. बुलाई गई निविदा को किसी भी समय विशेष परिस्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। निविदा प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार के न्यायालयीन प्रकरण बिलासपुर न्यायालय के अधीन रहेंगे।

10. क्रय समिति आपके द्वारा छायाप्रति के रूप में जमा किये गए दस्तावेजों के मिलान हेतु मूल प्रति से करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। इसलिये समस्त संबंधित मूल पत्र साथ में लाना होगा।

11. निविदा में दर दिये गये प्रारूप में ही दर प्रस्तुत करें एवं सभी सामग्रियॉ जिले के चिन्हांकित डी ई आई सी केन्द्र के लिये होना चाहिये। किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भाड़ा अथवा अन्य व्यय मान्य नहीं होगा।

12. मुख्य सील बन्द लिफाफा प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा जिसमें उपलब्ध दो लिफाफे में से तकनीकी लिफाफा (Technical Bid) को प्रथम खोला जायेगा।

13. फर्म का तकनीकी लिफाफा (Technical Bid) में निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा लिफाफा निरस्त कर दिया जायेगा।

- फर्म का नाम एंव संपूर्ण पता–
- इनकम टेक्स क्लीयरेन्स प्रमाण पत्र (Incom Tax Clearance)
- टिन नम्बर
- पेन नम्बर
- GST पंजीयन प्रमाण पत्र
- दुकान के व्यवसायिक उपयोग हेतु एजेंसी फर्म को संबंधित क्षेत्र नगरपालिका/नगर निगम द्वारा प्रदत्त पंजीयन प्रमाण पत्र।
- शपथ प्रमाण पत्र (दिये हुये प्रारूप में)
- अनुभव प्रमाण पत्र ।
- बैंक खातों का विवरण फर्म के लेटर पैड में।
- अमानत राशी 50,000=00 रू. पचास हजार रूपये जो की FDR के रूप में **"District Health Society NRHM Fund (Main) A/c Bilaspur** के नाम से भुगतान स्थल बिलासपुर के पक्ष में देय होना चाहए संलग्न करना होगा।

14. FDR के रूप में E.M.D. को छोड़ कर सभी प्रमाण पत्रों की सपष्ट छायाप्रति एंव फर्म के सिल लगाकर निविदाकर्ता की हस्ताक्षर कर ही बन्द लिफाफा में प्रस्तुत करें।

15. उपरोक्त लिफाफा के अभिलेखों के निरीक्षण उपरान्त क्रय समिति द्वारा जिस निविदाकारों के अभिलेखों को सही पाया जायेगा उनकी तकनीकी निविदा मान्य किये जाने की दशा में ही निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत Price Bid लिफाफा को खोला जायेगा। समय अभाव होने से प्राईज बिट लिफाफा सर्व सहमति से अन्य दिवस में खोला जाएगा।

16. तकनीकी लिफाफा (Technical Bid) खुलने के दिन एक ही निविदादाता या उनके द्वारा 01 अधिकृत प्रतिनिधि (अधिकृत प्रमाण–पत्र सहित) उपस्थित हो सकते है।

17. प्रदाय किये जाने के अनुबंध होने के बाद प्रदायकर्ता किसी भी कारण से प्रदाय दरों में अनुबंधित अवधि के दौरान प्रदाय दर में परिवर्तन नहीं कर सकेगा।

18. अनुबंध अवधि के दौरान यदि शासकीय आदेश अथवा निविदाकर्ता/निर्माता इकाई के द्वारा किसी मद की दरें कम होती है तो निविदाकार यह दर सूचित करने तथा इस कम दर पर आईटम की पूर्ति करने के लिये वैधानिक रूप से बाध्य होगा तथा यह दर सूचना की दिनांक से प्रभावी होगी। निविदाकार द्वारा सूचना नहीं दिये जाने पर जिला क्रय समिति कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर स्वंय इस विषय में निर्णय लेने के लिये अनुबंधित दरों में संशोधन किये अतिरिक्त व्यय को एक अलग देयक के रूप में संबंधित उत्पाद शुल्क अधिकारी के लिखित सहमति के बाद भुगतान हेतु प्रस्तुत करेगा।

19. स्वीकृत निविदाकार द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि का एफ.डी.आर. सामग्री आपुर्ती होने तक जमा रखा जायेगा, जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा, तथा अस्वीकृत निविदाकार की अमानत राशि 20 दिवस के उपरान्त लिखित आवेदन पत्र के बाद वापस किया जायेगा।

20. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर तथा अधिनस्थ संचालित संस्थाये/कार्यालय/स्वास्थ्य केन्द्र में अविरल रूप से आपूर्ति बनाये रखने के लिए क्रयादेशों को एक से अधिक प्रदायकर्ताओं में विभक्त कर सकेगा, जिसक लिये किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

21. निविदाएं खोली जाने के बाद निविदाकार को लिपिकीय अथवा मुद्रलेखकीय त्रुटि के लिये सुधारने का अवसर नहीं दिया जाएगा। ऐसी शर्तो जैसे Subject to Availability,Supply,Will be

21. निविदाएं खोली जाने के बाद निविदाकार को लिपिकीय अथवा मुद्रलेखकीय त्रुटि के लिये सुधारने का अवसर नहीं दिया जाएगा। ऐसी शर्तो जैसे Subject to Availability,Supply,Will be made AS and when Received Etc को अपूर्ण जानकार निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
22. निविदाकार को समस्त क्रय आदेश जारी तिथि से 30 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से निर्देशित डी.ई.आई.सी में अपने स्वंय के व्यय पर पहुँचाकर देना होगा।
23. अनुबंध की शर्तो का पालन नही करने पर निविदाकार को अगले तीन वर्षो के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा एंव काली सूची में डाल दिया जायेगा।
24. छत्तीसगढ़ राज्य के लघु उद्योग इकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है, तथा प्रमाण–पत्र प्राप्त है, उन्हें सुरक्षा निधि जमा करने में छुट रहेगी, किंतु इसके लिए निविदाकार को इस आशय का प्रमाण–पत्र निविदा के साथ देने पर ही छूट प्राप्त होगी।
25. निविदा–दाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली तकनीकी लिफाफा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। ओवर –राईटिंग, व्हाटनर का उपयोग एवं करेक्शन मान्य नहीं है।
26. निविदाकर्ता के द्वारा बार–बार सामग्रियों समयावधि में प्रदाय न करने की स्थिति निर्मित होती है तो कार्यालय को निविदा/अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार रहेगा।
27. कोई भी निविदाकार अथवा निर्माता कंपनी जिसे पूर्व में छत्तीसगढ़ शासन अथवा केन्द्रीय शासन अथवा किसी अन्य राज्य शासन द्वारा काली सूची में रखा गया हो निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
28. भुगतान पुरी तरह से छत्तीसगढ़ शासन के भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
29. यदि प्रदायगी टुटफूट अथवा हानि की स्थिती में प्राप्त होती है तो उसे अस्वीकार किया जायेगा।
30. अमानक स्तर की सामग्रियों को 20 दिन के भीतर बदल कर देना होगा, यदि प्रदायकर्ता ऐसा नही करता है तो उसे काली सूची में रखा जाएगा और 03 वर्ष तक कार्यालय की निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।
31. निविदा नियत तिथि एंव समय के पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करना होगा। अन्य माध्यम से निविदा स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं अमान्य माना जावेगा। निविदाकार अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित अवधि में निविदा खुलने के समय उपस्थित हो सकते है। शासकीय अवकाश की स्थिती में दुसरे कार्य दिवस में निविदा खोली जावेगी।
32. क्रय समिति निविदा शर्तो में आवश्यकता अनुसार एवं संस्थान हित में संशोधन/शिथिलीकरण कर सकेगी।
33. डी.ई.आई.सी. हेतु संलग्न उपकरणों/सामाग्रियों की उपलब्धता GEM में होने पर उक्त उपकरणों/सामाग्रियों का क्रय सर्वप्रथम GEM के माध्यम से किया जावेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
बिलासपुर , जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर ,जिला–बिलासपुर

निविदा दर प्रारूप

(उपरोक्त प्रारूप अनुसार कम्प्यूटराइज टाईप कराकर निविदा दर की पूर्ति करें)

1. निविदाकार/फर्म का नाम तथा पूर्ण पता ....
....
2. मोबाईल नं. ....
फैक्स नं. ....
ई–मेल आई.डी..

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,
बिलासपुर , जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

दिनांक .... सामाचार पत्र .... में प्रकाशित निविदा के संदर्भ में सामग्रियों के लिये उसमें वर्णित निबंधनो एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा अभिप्राप्त निविदा शर्तो पर प्रस्तुत करता हूँ/करती है।

S. No.	Name Items	Specification/company	quantity	Rate(including GST)

1. संलग्न सहपत्र : ....
2. स्थान : ....
3. दिनांक ....

हस्ताक्षर निविदाकार/सील

घोषणा पत्र

प्रारूप संलग्न

(निम्न घोषणा पत्र 50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर होना अनिवार्य है)

शपथ पत्र

(LETTER OF ACCEPTANCE)

मैं/हम .... जिनकी संस्था/दुकान.. .... पंजीयन क्रमांक (GST/VAT) .... पता...................... .... जो कि निविदाकार है, हम यह घोषणा करते है निविदा विज्ञप्ति क्रमांक दिनांक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य एंव स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर द्वारा जारी डी.ई.आई.सी.केन्द्र के लिए सामग्री प्रदाय करने हेतु निविदा के संदर्भ में कर रहे है, तथा यह घोषित करते है कि उपर दी गई जानकारी सत्य एवं सही है। इस संदर्भ में कार्यालय/निविदाकर्ता को जब इस निविदा के संदर्भ में किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी, हमारे द्वारा प्रदाय की जावेगी। हम निविदाकर्ता को बिना कारण बताये निविदा को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार को स्वीकार करते है, तथा हम उनके उक्त निर्णय को चुनौती देने के अधिकार का त्याग करते है, एवं निविदा में दी गई सभी सूचना एंव शर्ते मान्य है। तथा प्रदायित सामग्री/उपकरण निम्न स्तर की पाई गई तो अमानत राशि राजसात की एंव नियमानुसार कार्यवाही हेतु सहमत हूँ। हम स्वीकृत दरों पर एक वर्ष की अवधि तक सामग्री एवं चिकित्सा चिकित्सकीय उपकरणों इत्यादि प्रदाय करेगें।

धन्यवाद

निविदाकार/फर्म का नाम

पूर्ण स्थायी पता.............................

....

मोबाईल नं.......................................

हस्ताक्षर एवं सील निविदाकार

दिनांक

समय